



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51559

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 8272 वर्ष 2026**

राम प्रसाद

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 14 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| याची के अधिवक्ता         | : मुकेश कुमार कुशवाहा, शशि भूषण राय |
| प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता | : सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह        |

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया**

1. याची के अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 (गांव सभा) के अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के लिए उपस्थित विद्वान सी.एस.सी. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिपक्षीगण इस आदेश से किसी प्रकार से आहत अनुभव करते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/उप कलेक्टर-प्रथम, तहसील बिधूना, जनपद औरैया को निर्देशित किया जाए कि वे विभाजन वाद संख्या 973 वर्ष 2024 (राम प्रसाद बनाम वीरेंद्र कुमार एवं अन्य) में पारित अंतिम विभाजन आदेश दिनांक 11.03.2025 तथा डिक्री दिनांक 08.04.2025, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत पारित हुई है, का निष्पादन करते हुए स्थल पर सीमांकन कराकर विभाजन नक्शे के अनुसार वास्तविक एवं शांतिपूर्ण भौतिक कब्जा एक समयबद्ध अवधि के भीतर दिलाना सुनिश्चित करें।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याची उपर्युक्त डिक्री के निष्पादन हेतु उपयुक्त आवेदन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत करे। यदि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2/उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/उप कलेक्टर-प्रथम, तहसील बिधूना, जनपद औरैया, दिनांक 11.03.2025 के आदेश का **विधि के अनुसार कठोरतापूर्वक** अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही संपादित करेंगे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 13 मार्च, 2026

पी.पी.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।